न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 297/2017
आरसीएमएस नं0 2017/00271
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

1. सरवन सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. स्वर्ण सिंह पुत्र स्व0 गुरतेज सिह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. कलवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी, रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट

2. गुरजण्ट सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी, रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी, रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. टहलसिह पुत्र. स्व0 गुरतेज सिंह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी 3 एमजेडी, रोही रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.07.2017
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 64/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बअनवानी कलवन्त सिह बनाम शेर सिह आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः- 19.07.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 1 एमजेडी प. नं. 174/178 के मु0 नं0 28 के किला नं. 6, 15, 16, 25, में पूर्व साईड उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन पर 2–2 बिस्वा रास्ता घरू समझौता के अनुसार छोड़ा हुआ, 20–25 वर्षों से चल रहा होना बताते हुए एवं अपनी भूमि में अन्य कोई रास्ता नहीं हेाने का कथन करते हुए उक्त रास्ते को मंजूर करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थी के मांगे गये रास्ते से इन्कार व्यक्त करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया, लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी आरजी में आने जाने हेतु पत्थर नम्बर 174/177 मुरब्बा नं0 9 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व पत्थर नम्बर 174/178 मुरब्बा नम्बर 28 के किला नं. 5 में मन्जूरशुदा रास्ता है जिससे होकर रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आवागमन कर रहे हैं। प्रार्थीगण रास्ता उपलब्ध होते हुए दूसरा रास्ता मांगने का अधिकारी नहीं है तथा विधि अनुसार भी रास्ता का अभाव सिद्ध करना अति आवश्यक है व एक रास्ता के होते हुए केवल सुविधाजनक उपयेाग के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 गुरतेज सिह पुत्र मुखत्यार सिह दिनांक 20.11.2013 को फौत हो चुके थे जिसका हवाला भी फर्द मौका रिपोर्ट में आ चुका था विधि अनुसार मृतक के जायज व वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प रतनपुरा में दिनांक 20.06.2017 को आगामी तारीख पेशी 08.08.2017 निश्चित की गई थी तथा अपीलाण्ट सं0 1 को बिना सूचना दिये पत्रावली दिनांक 12.07.2017 की पेशी में लिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी की है। अपीलाण्ट सं0 2 प्रभावित पक्षकार है एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार अपील पेश कर रहा है जिसकी अनुमति के लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत रास्ते की परम आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ते के बिन्दूओं को देखा जाना चाहिए। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रास्ते को प्रार्थी व अप्रार्थीयान को आवागमन में आसानी रहना बताया गया है जबकि रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ते के बिन्दूओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 गुरतेज सिंह दिनांक 20.11.2013 को फौत हो चुका था उसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पुनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़